www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 21 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

सत्य का आकर्षण बढ़ने पर माया का आकर्षण खत्म हो जाता है

मुश्किल में चिदंबरम

आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी की नौबत आ गई तो इसीलिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई हो रही है। ऐसा आरोप लगाने वालों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की हैं। उसकी ओर से यहां तक कहा गया है कि आइएनएक्स मीडिया में निवेश का मामला काले धन को सफेद करने का सटीक उदाहरण है। कहना कठिन है कि इस मामले में अदालतें किस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के घोटाले कोई नई बात नहीं हैं। संप्रग शासन में तो खास तौर पर एक के बाद एक घोटाले हुए। ऐसे घोटाले नेताओं और नौकरशाहों की शह या फिर उनकी मिलीभगत से ही हुए, लेकिन विडंबना यह है कि किसी भी घोटाले में किसी नेता को सजा नहीं सुनाई जा सकी है। जहां कोयला घोटाले में केवल एक अधिकारी को सजा सुनाई गई है वहीं 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआइ की विशेष अदालत सभी आरोपियों को बरी करते हुए यह कह चुकी है कि यह एक काल्पनिक घोटाला था। इसे देखते हुए आइएनएक्स मामले में समय रहते दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है।

आम तौर पर राजनीतिक घपले-घोटाले का कोई मामला सामने आने पर कठघरे में खड़े नेता पहले तो सरकार को चुनौती देते हुए यह कहते हैं कि अगर उसके पास सुबूत है तो फिर वह कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब कभी कार्रवाई आगे बढ़ती है तो यह शोर मचाया जाने लगता है कि सरकारी एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार तो यह भी कह दिया जाता है कि जांच एजेंसियों के साथ-साथ अदालतें भी सरकार से प्रभावित होकर काम कर रही हैं। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक जांच एजेंसियों का कामकाज विश्वसनीयता नहीं हासिल कर लेता। निःसंदेह जांच एजेंसियों के साथ-साथ अदालतों से भी यह अपेक्षित है कि वे सक्रियता का परिचय दें। यह किसी से छिपा नहीं कि नेताओं अथवा रसूख वालों के मामलों में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम हो जाता है। राजनीति के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्ट तत्वों को सबक सिखाने के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों का निस्तारण कहीं अधिक तेजी से हो।

स्वस्थ होगा झारखंड

झारखंड में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा के बीच अच्छी खबर यह है कि अब यहां हालात बदल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने लगा है। सरकार भी इस दिशा में गंभीर है। यह बात साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी इसलिए भी है, क्योंकि झारखंड चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। इसी क्रम में एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दुमका, हजारीबाग और पलामू स्थित मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से नामांकन और पढ़ाई की हरी झंडी दे दी है। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने तीनों मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न कमियां गिनाकर इनको मान्यता देने से इन्कार कर दिया था। तब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दस्तक दी थी। अब अनुमति मिलने के बाद तीनों मेडिकल कॉलेजों में सौ-सौ सीटों पर दाखिला हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें एक साथ तीन सौ बढ़ गईं। यह भी जान लें कि रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के साथ कुल 190, धनबाद स्थित पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एवं जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 50-50 सीटों के विरुद्ध दाखिले की अनुमति मिली थी। अब सरकार कोडरमा तथा चाईबासा मेडिकल कॉलेजों पर रेस होगी। राज्य सरकार ने बोकारो में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है। उधर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीजों की सुविधाओं के लिए 300 बेड का अतिरिक्त भवन बनाया जाएगा। रिम्स ने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है। यह बात साफ है कि जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ेगी, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को गति देगी। जरूरत इस बात की है कि इन मेडिकल कॉलेज से निकले चिकित्सक राज्य में ही अपनी सेवाएं दें। इसके लिए सरकार को सटीक उपाय करने होंगे। संताल परगना के जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल अच्छा नहीं है। पहाड़ों पर बसीं आदिम जनजातियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार का फोकस इन इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए, क्योंकि राज्य के विकास के लिए यह अहम है। जब राज्य के नागरिक स्वस्थ होंगे तभी वे कोई भी काम मन लगाकर कर सकेंगे।

स्याह नतीजों वाला फैसला

मनीष तिवारी

दिल्ली और श्रीनगर के बीच राजनीतिक दीवार को गिराकर कश्मीर को सीधे नई दिल्ली से संचालित किया जाना उचित नहीं

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन कर भारतीय संघ के साथ उसके संबंधों को नए सिरे से तय किया है। इस कवायद से वह ऐसे स्याह क्षेत्र में दाखिल हो गई है जिसकी छाया भारतीय राष्ट्र राज्य के लचीलेपन को चुनौती देने जा रही है। पहले बात संवैधानिक स्याह पक्ष की। इस प्रक्रिया में अनुच्छेद तीन की मूल भावना की अनदेखी और अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ और भी कुछ संवैधानिक पहलुओं का मखौल उड़ाया गया है। भारतीय संघ में विलय से पहले जम्मू-कश्मीर 1939 में अपनाए गए अपने संविधान से संचालित होता था। जब तक राज्य ने अपना संविधान नहीं अपनाया तब तक यही व्यवस्था कायम रही। महाराजा हरि सिंह ने भी जो विलय की संधि की थी उसके सातवें पैराग्राफ के अनुसार भारतीय संघ भविष्य में भी राज्य पर कुछ ऐसा थोप नहीं सकता। हालांकि और भी रियासतों ने ऐसे ही कई समझौते किए थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ संघर्ष के चलते जम्मू-कश्मीर की स्थिति खासी जटिल हो गई। इसीलिए संविधान सभा ने भारतीय संघ के साथ कश्मीर के संबंधों को नया क्षितिज देने के लिए विलय की संधि से परे जाते हुए 17 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 के रूप में एक विशेष प्रावधान किया। भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के स्थाई एकीकरण के लिए 31 अक्टूबर, 1951 को एक चुनी हुई संविधान सभा का गठन हुआ। यह 17 नवंबर, 1956 तक अस्तित्व में रही जहां इसके द्वारा स्वीकृत संविधान 26 नवंबर, 1957 को लागू हुआ। इस संविधान के अनुच्छेद तीन ने राज्य को भारत में अविभाज्य रूप से जोड़ते हुए कहा कि यह भारत का अभिन्न अंग होगा।

अब जब सरकार ने राज्य को दो भागों में बांट दिया है तो अविभाजित जम्मू-कश्मीर के संविधान का क्या होगा? कोई भी उस संविधान को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। फिर 12 भागों और 147 अनुच्छेदों वाले इस संविधान में स्वयं को समाप्त करने वाला कोई प्रावधान भी नहीं है। यहां तक कि भारतीय संसद भी इसे निरस्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसका निर्माण भी भारतीय संविधान की तर्ज पर एक चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगर कोई यह दलील दे कि राज्य के विभाजन के साथ ही यह संविधान भी समाप्त हो गया तब यह तर्क भी उतनी मजबूती से दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में भारत और जम्मू-कश्मीर के रिश्ते भी उसी पड़ाव पर पहुंच जाने चाहिए जहां विलय की संधि के वक्त थे।

अब जरा राजनीतिक मोर्चे पर स्याह परिदृश्य की पड़ताल कर ली जाए। अगर 1947 की बात करें तो तब कश्मीर का एक बड़ा तबका स्वायत्तता, स्वशासन, आजादी और पाकिस्तान के साथ विलय का हिमायती था। कश्मीर की राजनीति में चार धाराएं आज भी हैं। ये धाराएं एक दूसरे से मिली हुई भी हैं और एक दूसरे को काटती भी हैं। लिहाजा प्रत्येक तबके के लिए आजादी के मायने भी अलग हैं। स्वतंत्रता के समय से ही कश्मीर घाटी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस यानी नेकां जैसे भारतीय संघ के ध्वजवाहक भी रहे हैं। समय के साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी जैसे राजनीतिक धड़े भी इसमें शामिल होते गए। 1990 के दशक में आतंकी गतिविधियों में जबरदस्त तेजी के दौर में मुख्यधारा के दलों के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए, मगर ये दल फिर भी अड़े रहे।

अवधेश राजपूत

इस दौरान 1996 से 2019 के बीच राज्य में चार विधानसभा और सात लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। इससे भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में उनकी आस्था ही व्यक्त हुई। राज्य के विभाजन ने दोनों क्षेत्रीय दलों नेकां और पीडीपी के लिए एक तरह से संभावनाएं खत्म कर दी हैं। कश्मीर की राजनीतिक मुख्यधारा यकायक गायब हो गई। यह भी विडंबना है कि राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखा गया है। महबूबा मुफ्ती तो हाल तक भाजपा की गठबंधन सहयोगी रही हैं। राजनीतिक मुख्यधारा को इस तरह नकारने के भविष्य में बहुत गंभीर नतीजे देखने को मिलेंगे।

अब सुरक्षा से जुड़े स्याह परिदृश्य पर चर्चा की जाए। इसमें एक मान्यता यह है कि यदि किसी अलगाववादी मुहिम को जनसमर्थन मिला है तो उस पर अंकुश लगाना असंभव सा होता है। लोगों के दिलों को जीतकर ही इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। अगर आप आम जनता और अलगाववादियों के बीच की कड़ी को नहीं तोड़ पाते तो अलगाववाद और जोर पकड़ता है। पंजाब में अलगाववाद के खिलाफ लंबी लड़ाई में निर्णायक पड़ाव तभी आया जब 1992 में चुनी हुई सरकार सत्ता में आई। उसी तर्ज पर सरकार फिलहाल नगालैंड में दशकों से चले आ रहे अलगाववाद को खत्म करने के लिए वार्ता कर रही है। यह उचित नहीं कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच राजनीतिक दीवार को गिराकर कश्मीर को सीधे नई दिल्ली से संचालित किया जाए।

अब सामरिक दृष्टिकोण से भी इसे देखना होगा। पाकिस्तान न केवल कश्मीर, बल्कि इस समूचे क्षेत्र में फिर से प्रासंगिक हो गया है। तालिबान के साथ अपने समझौते को सफल बनाने के लिए अमेरिका को अब पाकिस्तान की कहीं ज्यादा जरूरत है। इस बीच ईरान का मसला भी गर्म है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका की योजनाओं के केंद्र में होगा। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता होने की स्थिति में कश्मीर में आतंकी दस्तक की आशंका भी और गहरा जाएगी। आइएस भी यहां अपनी नजरें जमाए हुए है। ऐसे मोड़ पर कश्मीरियों को अलग-थलग करने के बजाय सरकार को उन्हें साथ लेकर चलने की जरूरत है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और उत्तरी हिस्सों को वापस लेने से जुड़ा भारत का मामला पूरी तरह विलय की संधि और संसद के दो संकल्पों पर टिका हुआ है। जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुच्छेद चार के अनुसार, 'राज्य के शासक की संप्रभुता के अनुसार इसमें वे सभी क्षेत्र आते हैं जो 15 अगस्त, 1947 तक इसका हिस्सा रहे।' इसी तरह 1994 और 2012 के दो संकल्पों का भी यही सार है कि विभाजन का एकमात्र अधूरा एजेंडा जम्मू-कश्मीर के उन हिस्सों को वापस लेना है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं और जिन्हें उसने चीन को भी हस्तांतरित किया। मूल जम्मू-कश्मीर राज्य को समाप्त करने से ये दावे भी संदिग्ध हो जाते हैं। अब किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ता में भारत यह दावा नहीं कर सकेगा कि वह विलय की संधि के अनुसार जम्मू-कश्मीर के सभी हिस्सों पर नियंत्रण चाहता है। जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का पक्ष कमजोर हुआ है। यही वजह है कि लोकसभा में बहस के दौरान मैंने गृहमंत्री को बताया कि जम्मू-कश्मीर में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' वाली स्थिति है।

(लेखक कांग्रेस के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

भारत-चीन दोस्ती के बीच की दीवार

राजीव सचान

चीन सरकार का भारत के प्रति रवैया एक समस्या है, लेकिन चीन की तेज तरक्की से बहुत कुछ सीखा जा सकता है

मसूद अजहर के समर्थक-संरक्षक की छवि से लैस होने और दुनिया भर में अपनी फजीहत कराने के बाद चीन कुछ समय पहले जब इस आतंकी सरगना पर पाबंदी के पक्ष में खड़ा हुआ था तो ऐसा लगा था कि अब वह भारत के प्रति सकारात्मक रवैये का परिचय देगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर पर उसके हालिया रुख ने यही साबित किया कि उसकी पाकिस्तानपरस्ती कायम रहने वाली है। पाकिस्तान में निहित अपने हितों की रक्षा के लिए चीन किस तरह भारतीय हितों की अनदेखी करने को तैयार है, इसकी पुष्टि तब हुई जब बीते हफ्ते भारत से चीन गए पत्रकारों के एक समूह से चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 हटाने को इसलिए ठीक नहीं मानते, क्योंकि हम भारत को नैतिक स्तर पर ऊंचे धरातल पर देखते हैं और यह चाहते हैं कि भारतीय नेतृत्व दक्षिण एशिया में शांति-सद्भाव कायम करने में सहायक बने। उन्होंने पंचशील सिद्धांत याद करते हुए यह शिकायत की कि भारत को एकतरफा फैसला नहीं लेना चाहिए था। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि चीन ने गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की ओर से किए गए बदलाव का कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? वह यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि अनुच्छेद 370 हटाने का भारत का फैसला चीन की चिंता का कारण क्यों और कैसे है? सीमा विवाद सुलझाने में हो रही अनावश्यक देरी पर उन्होंने अवश्य यह कहा कि अगले दौर की वार्ता में ठोस प्रगति होने के आसार हैं, लेकिन वह यह नहीं बता सके कि यह बातचीत कब होगी? उनकी बातों से यह भी साफ हुआ कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता के लिए चीन से सहयोग की अपेक्षा न रखे।

यह पहले से स्पष्ट है कि चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने द्वारा बनाए जा रहे गलियारे पर भारत की आपत्तियों का निस्तारण करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद वह यह चाहता है कि भारत यह ध्यान रखे कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन यह तो चाहता है कि कश्मीर का समाधान अंतरराष्ट्रीय नियमों और खासकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हिसाब से हो, लेकिन हांगकांग के मुद्दे को वह अपने हिसाब से हल करना चाह रहा है। इन दिनों चीन सरकार यह साबित करने की हरसंभव कोशिश कर रही है कि हांगकांग के प्रदर्शनकारी दंगाई हैं और वे आतंकियों सरीखा बर्ताव कर रहे हैं। सरकार नियंत्रित चीनी मीडिया भी यह सब साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

13 अगस्त को अंग्रेजी अखबार चाइना डेली की पहली खबर थी-हांगकांग की अशांति में आतंक के निशान। इसी दिन इस अखबार के संपादकीय में लिखा गया कि अगर हांगकांग में हिंसा थमी नहीं तो जोरदार पलटवार के अलावा और कोई उपाय नही। हांगकांग में चीन के नियम लागू करने का हठ दिखा रहा यही चीनी नेतृत्व कश्मीर पर भारत को उपदेश दे रहा है और इस क्रम में इसकी सुध लेना जरूरी नहीं समझ रहा कि वह खुद उइगर मुसलमानों से किस तरह पेश आ रहा है? चीनी नीति-नियंताओं के रुख से जो स्पष्ट होता है वह यही कि चीन भारत से अपने लिए जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखता है वैसा व्यवहार भारत से करने को तैयार नहीं।

चीन को भारत से तो यह अपेक्षा है कि वह उसे किसी और, खासकर पश्चिम की निगाह से न देखे, लेकिन वह खुद भारत को पाकिस्तान की निगाह से देखने की अपनी नीति छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। वुहान में कायम समझबूझ को आगे बढ़ाने चीनी राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। उनकी यात्रा यह स्पष्ट करेगी कि चीन के पाकिस्तान प्रेम में कोई कमी आने वाली है या नहीं? इस यात्रा का नतीजा कुछ भी हो, भारत के प्रति चीन के आम लोगों का नजरिया अपनी सरकार से भिन्न दिखता है। चीनी नागरिक यिंदू यानी भारत को अपनी जैसी पुरातन संस्कृति वाला देश मानते हैं। भगवान बुद्ध के कारण वे भारत को विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं। वे भारतीयों से मिलते समय उत्साह भी दिखाते हैं और अपनत्व भी। उनकी लोक कथाओं और कलाओं में बुद्ध के जीवन के नाना प्रसंग उपस्थित हैं। इन प्रसंगों का स्मरण विभिन्न चीनी ओपेरा में भी होता है। चीन रवींद्र नाथ टैगोर की स्मृतियों को भी अपने संग्रहालयों में संरक्षित किए हुए है। वहां के लोग भारत को अपनी जैसी विरासत वाला देश मानते हैं और शायद इसी कारण बीजिंग में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को इंगित करने वाला समारोह जिस मंच पर आयोजित हुआ वह चीन की दीवार और ताजमहल की छवि से लैस था।

इसमें दोराय नहीं कि भारत विकास के मामले में चीन को चुनौती देने के लिए कमर कस रहा है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि चीन कहीं आगे निकल गया है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहर चीन की चमत्कारिक प्रगति को पुष्ट करते हैं। चीन न केवल ढांचागत परियोजनाओं को विशाल रूप देने, बल्कि उनका आनन-फानन निर्माण अपने बलबूते करने में पारंगत हो गया है। बतौर उदाहरण शंघाई बंदरगाह। दुनिया के इस सबसे बड़े बंदरगाह में हर सप्ताह 60 जहाज माल लाते-ले जाते हैं। आधुनिक तकनीक से लैस इस बंदरगाह को महज 256 लोग संचालित करते हैं। मजदूरों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है, लेकिन वह कुछ दर्जन तक ही सीमित रहती है। शंघाई से इस बंदरगाह तक पहुंच के लिए समुद्र पर करीब 35 किमी लंबा पुल बना है। इसे महज चार साल में तैयार कर लिया गया था। चीन ने ऐसे कई करिश्मे किए हैं। आमतौर पर भारत में शंघाई को मुंबई जैसे शहर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सच यह है कि आमची मुंबई पीछे छूट गई है। शंघाई न केवल अपनी भव्यता में अमेरिका और यूरोप के शहरों से टक्कर ले रहा है, बल्कि करीब ढाई करोड़ आबादी के बाद भी कहीं अधिक साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित दिखता है। यही कारण है कि वह देशी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहता है। चीन ने तेज विकास के साथ अपने लोगों को समृद्ध भी बनाया है और इसका प्रमाण बीजिंग, शंघाई के साथ-साथ दुनिया के सभी बड़े शहरों में चीनी पर्यटकों की बढ़ती संख्या से मिलता है। निःसंदेह चीन सरकार का भारत के प्रति रवैया दोनों देशों की दोस्ती में एक दीवार है, लेकिन चीन की तेज तरक्की से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और वह सीखा भी जाना चाहिए।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता की कसौटी

19वीं सदी के फ्रांस के मशहूर उपन्यासकारों में गुस्ताव फ्लोबेर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके साहित्य ने दुनिया में अनेक लोगों को अपने सपनों को साकार करने के लिए अद्भुत रूप से प्रेरित किया है। मानव द्वारा देखे गए सपने और उनके साकार होने के संदर्भ में उनका यह कथन काफी प्रेरणादायी है, 'मैं यह पूरी तरह यकीन करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा आकाश की तरफ देखता रहे तो अंततः उसके शरीर में पंख लग सकते हैं।' इस कथन में छुपे हुए सारगर्भित संदेश का प्रत्यक्ष अभिप्राय यही है कि सपनों की दुनिया और हकीकत के संसार में केवल समय का फासला होता है। साथ ही इस दुनिया में इंसान द्वारा ताउम्र देखे गए सपने हर हाल में साकार होते हैं, लेकिन सच पूछिए तो सपने देखना भी आसान कार्य नहीं है और हर कोई सपने नहीं देख सकता है। आखिर हम सपने क्यों नहीं देख पाते हैं? दुनिया की विभिन्न विधाओं में कामयाब और महान पुरुषों के जीवन को संजीदगी से पढ़ें तो एक सच अपने संपूर्ण स्वरूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है और वह यह है कि सपने देखने के लिए कल्पनाशील मस्तिष्क के साथ-साथ सृजनशील प्रतिभा की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। इतना ही नहीं, जब हम खुद की प्रतिभा को पहचान नहीं पाते तो वैसी स्थिति में भी सपने देखने का कार्य संभव नहीं हो पाता है।

दुनिया में सपने को साकार करना तभी संभव नहीं होता है जब हम असफलता से डर जाते हैं। असफलता का भय महज सपनों को साकार करने से रोकता ही नहीं है, बल्कि सपने देखने की राह में भी एक बड़े अवरोध सरीखा कार्य करता है। प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी क्लेमेंट स्टोन जब यह कहते हैं कि चांद को छूने का लक्ष्य रखो, यदि आप इसमें असफल हो भी जाते हैं तो भी आपको सितारों को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। आशय यही है कि जीवन में कामयाबी सपने देखने से हासिल होती है और सपने देखने के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी कसौटी है। असली सपने वही होते हैं जो आपको सक्रिय रखते हैं।

श्रीप्रकाश शर्मा

'उमराव जान' में जान डालने वाले खय्याम

भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी का सोमवार को निधन हो गया। कम ही लोगों को पता होगा कि खय्याम ने अपने फिल्मी करियर के पहले पांच साल शर्मा जी के नाम से संगीत दिया था। 18 फरवरी, 1927 को पंजाब में जन्मे खय्याम के परिवार का फिल्मों से दूर-दर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन उस दौर के कई नौजवानों की तरह खय्याम पर केएल सहगल का नशा था। वे उन्हीं की तरह गायक और एक्टर बनना चाहते थे। इसी जुनून के चलते वे छोटी उम्र में घर से भागकर दिल्ली आ गए। घर में खूब नाराजगी हुई, लेकिन फिर बात इस पर आकर टिकी कि पंडित हुसनलाल-भगतराम की शागिर्दी में वे संगीत सीखेंगे। कुछ समय बाद वे किस्मत आजमाने मुंबई चले गए, पर जल्द समझ में आया कि अभी सीखना बाकी है। संगीत सीखने की चाह उन्हें दिल्ली से लाहौर बाबा चिश्ती (संगीतकार गुलाम अहमद चिश्ती) के पास ले गई। लाहौर तब फिल्मों का गढ़ हुआ करता था।

फिर से

खय्याम ने 1947 में शुरू हुए अपने फिल्मी करियर के पहले पांच साल शर्मा जी के नाम से संगीत दिया था

खय्याम ने कई संगीतकारों की तुलना में कम काम किया, लेकिन जितना भी किया बेमिसाल माना जाता है। फिर चाहे आखिरी मुलाकात का दर्द लिए फिल्म बाजार का गाना-'देख लो आज हमको जी भरके' हो। या उमराव जान में प्यार के अहसास से भरा गाना हो 'जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है मुझे, ये जमीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें...।'

खय्याम के फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने 1947 में अपना सफर शुरु किया हीर रांझा से। रोमियो जूलियट जैसी फिल्मों में संगीत दिया और गाना भी गाया। 1950 में फिल्म बीवी के गाने 'अकेले में वो घबराते तो होंगे' से लोगों ने उन्हें जाना जो रफी ने गाया था। 1953 में आई फुटपाथ से खय्याम को पहचान मिलने लगी और उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। 1958 में फिल्म 'फिर सुबह होगी' में मुकेश के साथ 'वो सुबह कभी तो आएगी' बनाया, 1961 में फिल्म 'शोला और शबनम' में रफी के साथ 'जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझमें रचा' तो 1966 की फिल्म 'आखिरी खत' में लता के साथ 'बहारों मेरा जीवन भी सवारो' लेकर आए। खय्याम ने 70 और 80 के दशक में कभी-कभी, त्रिशूल, खानदान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, आहिस्ता आहिस्ता, दिल-ए-नादान, बाजार, रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने दिए। यहां साहिर लुधियानवी की शायरी में डूबा और खय्याम के संगीत में निखरा कभी-कभी का एक एक गीत याद आता है-'मैं पल दो पल का शायर हूं.../ कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले/मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले/कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे/मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यूं वक्त अपना बर्बाद करे/मैं पल दो पल का शायर हूं...।'

खय्याम भले ही संगीत प्रेमियों से जुदा हो गए हों, पर बहुत सारे संगीत प्रेमियों के लिए वाकई उनसे बेहतर कहने वाला कोई नहीं होगा। वह दौर जिसे हिंदी फिल्म संगीत का गोल्डन युग कहा जाता है, उसके अंतिम धागों से जुड़ी एक और डोर खय्याम के जाने से टूट गई है।

(साभार : बीबीसी में वंदना)

मेलबाक्स

सार्थक फैसले पर निरर्थक बहस क्यों?

समावेशी विकास की दिशा में सार्थक कदम शीर्षक से लिखे अपने आलेख में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए अनुच्छेद-370 एवं 35-ए को हटाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक फैसले पर होने वाली बहस को जिस तरह से निरर्थक बताया है, वह उचित है। वस्तुतः इस मुद्दे पर वही लोग अपनी असहमति का राग अलाप रहे हैं जो कश्मीरियत को भारत की संस्कृति से अलग बताकर कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने में संकोच करते थे। जबकि महर्षि कश्यप की साधना स्थली कश्मीर पर शासन करने वाले भारतीय राजाओं का एक लंबा इतिहास है। भारत में विलय से पहले भी कश्मीर रियासत पर भारतीय राजा हरि सिंह का शासन था। ऐसे में आजाद भारत में अस्थायी अनुच्छेद-370 के द्वारा मुस्लिम बहुल कश्मीर को विशिष्ट बना देना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था। जिस पर विभिन्न दलों के नेताओं ने समय-समय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके इसे हटाने की पुरजोर मांग भी की थी, लेकिन पिछले 72 वर्षों में कोई भी केंद्र सरकार अनुच्छेद-370 पर वैसा साहसिक निर्णय नहीं ले सकी जैसा वर्तमान मोदी सरकार ने ले लिया है। जबकि भारत के शासन-तंत्र को नेहरू शासन की इस ऐतिहासिक भूल को बहुत पहले सुधार लेना चाहिए था, लेकिन आज देश खुश है, क्योंकि अब भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाला एक विधान-एक निशान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू हो चुका है। इससे पहले अनुच्छेद-370 के कारण भारत के बहुत से कानून कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे, इससे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य न केवल देश की विकास योजनाओं से वंचित रहता था, अपितु शेष भारत से उसका जुड़ाव भी नहीं हो पाता था। इस दृष्टि से मोदी सरकार की इस राष्ट्रहितैषी सार्थक पहल पर अब किसी तरह की निरर्थक बहस का कोई औचित्य नहीं है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

पीओके भारत का हिस्सा

भारत के परमाणु हथियार मोदी प्रशासन में सुरक्षित नहीं हैं, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दिया गया एक निरर्थक, स्तरहीन और बचकाना बयान से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिकी दौरे के दौरान इमरान ने खुद माना था कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं। इस बयान से स्पष्ट है कि किस देश के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं हैं। भारत विश्व का सबसे जिम्मेदार एवं परिपक्व लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया मानो पाक का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। पाक द्वारा राजनयिक रिश्ते तोड़ना, कला-संस्कृति और भारतीय चैनल्स के प्रसारण पर रोक से आमजन में सरकार के प्रति जबरदस्त रोष व्याप्त हो गया है। वही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को छोड़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत मुस्लिम बहुल देशों का साथ न मिलने से पाक की किरकिरी हुई है। पाक द्वारा भारत से परमाणु युद्ध के खतरे का भय दिखा कर विश्व बिरादरी के समक्ष दुष्प्रचार को बंद करना होगा। सर्वविदित है कि 1950 से लेकर आज तक पाक अधिकृत कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में खाली छोड़ा जाता है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का ही अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। जिस पर पाक ने जबरदस्ती 70 साल पहले कब्जा किया था, हर हाल में उसे भारत को लौटाना ही होगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

शक्ति का दुरुपयोग

चाहे मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की बात हो या फिर हांगकांग में लोकतंत्र की बहाली, चीन हमेशा अपने सुपर पावर को दिखाता रहा है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मामला उठा तो दिया, लेकिन जब कोई देश हांगकांग का मामला उठता है तो वह उसे धमकाता है। इसने जून 1989 में बीजिंग स्थित थ्येन आनमन चौक पर लोकतंत्र समर्थकों पर टैंक चढ़वा दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनका दोष केवल इतना था कि वे लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। लेकिन चीन को यह मांग नागवार गुजरी और उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी चीन इस मामले को वैश्विक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कर वह भारत की छवि खराब करने में लगा हुआ है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।